उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या 4/1/2001/का-2-2002

लखनऊ, दिनांक 27 जून, 2002

लोक सेवाओं के पदों में सीधी भर्ती का रोस्टर विषयक अधिसूचना संख्या 4/1/2001–का-2, दिनांक 25 जून, 2002 की प्रतिलिपि संलग्न कर निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

4–सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।

5–सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

6–सचिव, लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, इलाहाबाद।

7–सचिवालय के समस्त अनुभाग।

8–सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश।

9–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र०, लखनऊ को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–1, खण्ड (क) (उ०प्र० अधिनियम) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशनार्थ।

आज्ञा से,

बी० एन० दीक्षित,

विशेष सचिव।

क्रम-संख्या—193

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू. पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 27 जून, 2002

आषाढ़ 6, 1924 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या 4/1/2001–कार्मिक–2

लखनऊ, 25 जून, 2002

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994) की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या 4/1–का–2-2001, दिनांक 22 अक्टूबर, 2001 का अधिक्रमण करके राज्यपाल महोदय वर्ष 1994 के उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन आरक्षण को लागू करने के लिए निम्नलिखित रोस्टर जारी करते हैं :–

1–अनुसूचित जाति
2–अनारक्षित
3–अन्य पिछड़ा वर्ग
4–अनारक्षित
5–अनुसूचित जाति
6–अनारक्षित
7–अन्य पिछड़ा वर्ग
8–अनारक्षित
9–अन्य पिछड़ा वर्ग
10–अनारक्षित
11–अनुसूचित जाति
12–अनारक्षित
13–अन्य पिछड़ा वर्ग
14–अनारक्षित

15–अनुसूचित जाति
16–अनारक्षित
17–अन्य पिछड़ा वर्ग
18–अनारक्षित
19–अन्य पिछड़ा वर्ग
20–अनारक्षित
21–अनुसूचित जाति
22–अनारक्षित
23–अन्य पिछड़ा वर्ग
24–अनारक्षित
25–अनुसूचित जाति
26–अनारक्षित
27–अन्य पिछड़ा वर्ग
28–अनारक्षित
29–अन्य पिछड़ा वर्ग
30–अनारक्षित
31–अनुसूचित जाति
32–अनारक्षित
33–अन्य पिछड़ा वर्ग
34–अनारक्षित
35–अनुसूचित जाति
36–अनारक्षित
37–अन्य पिछड़ा वर्ग
38–अनारक्षित
39–अन्य पिछड़ा वर्ग
40–अनारक्षित
41–अनुसूचित जाति
42–अनारक्षित
43–अन्य पिछड़ा वर्ग
44–अनारक्षित
45–अनुसूचित जाति
46–अनारक्षित
47–अनुसूचित जनजाति
48–अनारक्षित
49–अनुसूचित जाति
50–अनारक्षित
51–अन्य पिछड़ा वर्ग
52–अनारक्षित
53–अनुसूचित जाति
54–अनारक्षित
55–अन्य पिछड़ा वर्ग
56–अनारक्षित
57–अन्य पिछड़ा वर्ग
58–अनारक्षित
59–अनुसूचित जाति
60–अनारक्षित
61–अन्य पिछड़ा वर्ग
62–अनारक्षित
63–अनुसूचित जाति

64–अनारक्षित
65–अन्य पिछड़ा वर्ग
66–अनारक्षित
67–अन्य पिछड़ा वर्ग
68–अनारक्षित
69–अनुसूचित जाति
70–अनारक्षित
71–अन्य पिछड़ा वर्ग
72–अनारक्षित
73–अनुसूचित जाति
74–अनारक्षित
75–अन्य पिछड़ा वर्ग
76–अनारक्षित
77–अन्य पिछड़ा वर्ग
78–अनारक्षित
79–अनुसूचित जाति
80–अनारक्षित
81–अन्य पिछड़ा वर्ग
82–अनारक्षित
83–अनुसूचित जाति
84–अनारक्षित
85–अन्य पिछड़ा वर्ग
86–अनारक्षित
87–अन्य पिछड़ा वर्ग
88–अनारक्षित
89–अनुसूचित जाति
90–अनारक्षित
91–अन्य पिछड़ा वर्ग
92–अनारक्षित
93–अनुसूचित जाति
94–अनारक्षित
95–अन्य पिछड़ा वर्ग
96–अनारक्षित
97–अनुसूचित जनजाति
98–अनारक्षित
99–अनुसूचित जाति
100–अनारक्षित

आज्ञा से,
राजेन्द्र भौनवाल,
सचिव।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 5 सा० नियुक्ति (5)–28-5-2007–(319)–3,000 (कम्प्यूटर/आफसेट)।